

15

15/11/17
(कामी)
23/11/17
वा 24/11/17
रुद्रा

आइये दिनांक 15/11/17 परा है।

पत्रावली के राजस्व लोक उदालत के रूप में पेश हुई। उच्च परिकारा के राजीवामा पेश किया। जो लोकार्क कट इल वापस के कामी कले वाही इका एतर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली के एल सुचारु लोक कर्मिल एफर हो।

(जातेकामी)



जातेकामी

17

पत्रावली
12
15/11/17

सहायक कलक्टर
(SDO) बीकानेर

पत्रावली
12
15/11/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, 701/12
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- सरला निवास लखनऊ

राजीनामा प्रपत्र

सेवामें,

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
701/12

दिनांक 15/7/17

बनाम

प्रकरण संख्या :- 68/2010 अन्तर्गत धारा 75

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री उमरबा के काम मुकदमा सुलतान कापमल का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

वादी उमरबा के काम मुकदमा सुलतान कापमल का मोहम्मद सुलतान को हटाने का प्रमाण पत्र मुझे 30 दिनों के अंदर देना है। यदि वह नहीं करता तो मैं उसे न्यायालय में लम्बित करूंगा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

- वादी पक्ष 1. सुलतान सुलतान
- 2. कापमल
- 3. सुलतान
- 4.

- प्रतिवादी पक्ष 1. मि. मि. मि.
- 2. पक्षकार
- 3.
- 4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (वादी पक्ष) नाम उमरबा 15/7/17

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (प्रतिवादी पक्ष) नाम मि. मि. मि. 15/7/17

प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(पीठासीन अधिकारी चाँदवन)